महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम आर. एस. भोंडे एवं अन्य

अगस्त 17, 2005

[अरिजीत पसायत और एच. के. सेमा, न्यायाधिपतिगण]

<u>श्रम कानून</u>

महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971 / पंजाब राव कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, 1968; धारा 50 (बी) / महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, 1983:

दैनिक वेतन भोगी - लगातार काम करना - प्रकृति में प्रति व्यक्ति कार्य / कर्तव्यों का पालन करना - स्थायी कर्मचारी के बराबर लाभ का दावा करना - औद्योगिक न्यायाधिकरण ने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन उन्हें स्थायी किये जाने का निर्देश दिया - चुनौती दी - उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 'अनुमोदन' के स्थान पर 'पूर्व अनुमोदन' को प्रतिस्थापित करके आदेश में संशोधन किया - अधिनियम, 1968 निरस्त किया गया - बाद में, उच्च न्यायालय ने अन्य संबंधित मामलों में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को उनके साथ स्थाई कमचारी की तरह सभी परिणामी लाभों के साथ व्यवहार करने का निर्देश दिया - अपील होने पर, अभिनिर्धारित - केवल इसलिए कि अधिनियम, 1968 की धारा 50 (बी)

को निरस्त कर दिया गया है जो उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव को दूर नहीं करता है जो गलत तरीके से पारित किया गया था - इसके अलावा, उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई थी।

इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह इस प्रकार था कि क्या आकस्मिक श्रमिकों/दिहाड़ी मजदूरों को स्थायी कर्मचारी मानने के उद्देश्य से राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक थी और क्या वे अन्य संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में स्थायी कर्मचारियों के रूप में सभी परिणामी लाभों के हकदार हैं, यह मानते हुए कि उन्हें स्थायी बनाने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी / पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 50 (बी) को निरस्त कर दिया गया था।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट तौर पर एक आधार के बजाय कई आधारो पर समर्थनीय नहीं है। अन्य संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय का पूर्व आदेश अंतिम हो गया था क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई थी। औद्योगिक न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए बाद की रिट याचिका में की गई प्रार्थना स्पष्ट तौर पर पोषणीय नहीं है। केवल मात्र इस आधार पर कि अधिनियम 1968 की धारा 50 (B) को निरस्त कर

दिया गया था उससे उच्च न्यायालय द्वारा पहले के प्रकरणो में पारित किये गये आदेशो के प्रभाव को दूर नहीं किया।

औद्योगिक न्यायालय के आदेश को अपने मूल रूप में लागू करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई, जब उच्च न्यायालय द्वारा अपने पहले के आदेश में इसे संशोधित किया गया था, जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली थी। इसलिये, उच्च न्यायालय के आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है और यह अपास्त किया जाता है। हालांकि, दैनिक मजदूरों / कर्मचारियों का नियमितीकरण उस संबंध में आदेश की संबंधित तिथियों से प्रभावी होगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है और न कि दिनांक 7.11.1983 से। [766 एफ, जी, 767-सी]

महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय और अन्य बनाम् नासिक जिला सेठ कामगर यूनियन एवं अन्य, [2001] 7 एससीसी 346 और अहमदनगर जिला शेतमाजूर यूनियन बनाम दिनकर राव कल्याणराव जगदाले, [2001] 7 एससीसी 356 पर विश्वास व्यक्त किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 4262/1999

रिट याचिका संख्या 1343/1984 में में बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर बैंच के निर्णय और आदेश दिनांक 28/10/1996 से।

रवींद्र के. अदसुरे, शिवाजी एम. जाधव और मुकेश के. गिरि, अपीलार्थियों के लिये।

ए. के. संघी, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति के द्वारा दिया गया था- महाराष्ट्र राज्य और पंजाबराव कृषि विद्यापीठ (इसके बाद 'विश्वविद्यालय' के रूप में संदर्भित)। बाम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर की खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर प्रश्न। विवादित फैसले में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उत्तरदाताओं (इसके बाद 'कर्मचारियों' के रूप में संदर्भित) को स्थायी कर्मचारियों के रूप में मानने के उद्देश्य से राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है दिनांक 01/07/2017 से स्थाई कम्रचारियो के रूप में और वे स्थाई कम्रचारी के रूप में उस तिथि से सभी लाभो के हकदार हैं।

संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थियों और कई अन्य, जो अपीलकर्ताओं के अनुसार मौसमी आधार पर लगे हुए थे, ने महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम, 1971 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की अनुसूची IV की मद 6 के साथ कथित रूप से पठित धारा 28 के तहत शिकायत दायर करके औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, नागपुर पीठ, नागपुर का दरवाजा खटखटाया। शिकायतकर्ताओं का मामला यह था कि वे वर्तमान अपीलकर्ता सं.2 - कृषि महाविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय में, दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा में बिना किसी विराम के सेवारत थे। उनके

द्वारा किए गए कर्तव्य स्थायी प्रकृति के है। यद्वपि,उन्हें अस्थायी कर्मचारियों के रूप में जारी रखा जा रहा था, किंतु उनसे वे स्थायी प्रक़ति का कार्य करवाया जा रहा था। उनके अनुसार, उनको स्थाई प्रक़ति के कार्य करने वाले कर्मचारी के समान लाभ प्राप्त करने से वंचित करने की यह प्रथा थी और जिसका एक स्थायी कर्मचारी हकदार है और यह अधिनियम की अनुसूची IV की क्रम संख्या 6 के तहत अनुचित श्रम प्रथा के बराबर था। विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा अपनाई जा रही अनुचित श्रम प्रथा को रोकने बाबत और प्रार्थीगण जिन पदो पर कार्य कर रहे थे उन पर उन्हे स्थाई किये जाने की प्रार्थना की गई। विश्वविद्यालय और कॉलेज यह द्वारा यह आधार लिया गया था कि वह अपने आप में स्थायी पद नहीं बना सकते क्योंकि इस उदद्देश्य के लिए राज्य सरकार से संपर्क करना पडता है। यह इंगित किया गया था कि 140 श्रमिकों को स्थाई किये जाने बाबत राज्य सरकार से संपर्क किया गया था । औद्योगिक न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि अनुचित श्रम प्रथा जारी थी और प्रतिवादीगण को यह निर्देश दिया गया कि "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन" प्रार्थीगणो को स्थाई किया जाना था। विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया आधार पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, 1968 (संक्षिप्त में 'विश्वविद्यालय अधिनियम', 1968) की धारा 50 (बी) के संदर्भ में था। औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय की शुद्वता से संबंधित प्रश्नो बाबत विश्वविद्यालय द्वारा 6 रिट याचिकाये प्रस्तुत की गई थी। रिट

याचिका संख्या 143/1983 मय रिट याचिकाये संख्या 170/83, 1171/82, 1172/82, 1173/82 और 1174/82 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, पीठ नागपुर के एकल न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि परिवाद प्रकरणो मे पारित किये गये आदेश को इस सीमा तक सुधार किया जाना था कि प्रत्येक प्रकरण में शब्द "राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन" को प्रतिस्थापित किया जाना थ।

इसके पश्चात, 10 व्यक्तियो, जो कि वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादीगण है, द्वारा औद्योगिक न्यायालय के आदेश की पालनार्थ उच्च न्यायालय मे एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय ने आलोचित निर्णय के जरिये यह अभिनिर्धारित किया गया कि औद्योगिक न्यायालय के आदेश को शब्द "राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन" के अतिरिक्त संशोधित किया जाना था। तदनुसार निर्देशित किया गया कि सभी प्रतिवादीगणो को सभी लाभों के साथ दिनांक 7/11/1983 से यानि कि जिस दिन महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, 1983 (संक्षिप्त में 'अधिनियम, 1983') द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 50 (बी) को निरस्त किया गया, से स्थायी कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के अनुसार अधिनियम, 1983 की धारा 50 (बी) के समान कोई प्रावधान नहीं था और इसलिए, राज्य सरकार

के पूर्व अनुमोदन से बहुत कम किसी भी अनुमोदन का सवाल ही नहीं उठता था।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 25 जुलाई, 1983 का आदेश, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या 143/1983 और अन्य मामलों का निपटारा किया गया था, ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी। केवल मात्र औद्योगिक न्यायालय के आदेश के पारित होने के समय जो प्रावधान लागू था, उसे बाद में निरस्त कर दिया गया था, जिसका वास्तव में कोई परिणाम नहीं था।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि विश्वविद्यालय ने हर समय यह रुख अपनाया था कि उसके पास नियमितीकरण के लिए एक योजना थी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय ने जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हलफनामों से प्रकट होता है, कहा था कि नियमित आधार पर काम करने वाले 970 श्रमिको के अलावा, 3000 से अधिक श्रमिक दैनिक वेतन के आधार पर समय समय पर कार्यरत थे। जब भी कोई पद रिक्त होता है या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुये नया बनाया जाता है तो रिक्तियां उन लोगो में से भरी जाती है जो नागपुर और अमरावती जोन के लिये अलग से बनाये गये जोन-वार वरिष्ठता सूची के अनुसार दैनिक वेतन पर है। यह

स्थिति प्रतिवादीगणो द्वारा विवादित नहीं है। ऐसा होनेपर, उच्च न्यायलय का आदेश एक से अधिक मामलो मे स्पष्ट रूप से अस्थिर है। सबसे पहले, रिट याचिका संख्या 143/83 और संलग्न प्रकरणो में आदेश 25 जुलाई, 1983 अंतिम हो चुका था और इसे कोई चुनौती नही दी गई थी। औद्योगिक न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए बाद की रिट याचिका में प्रार्थना स्पष्ट रूप से पोषणीय नहीं है। केवल इसलिये कि अधिनियम की धारा 50 (बी) को निरस्त कर दिया गया था, इससे पहले के मामलो मे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। औद्योगिक न्यायालय के आदेश को उसके मूल रूप में लागू करने की प्रार्थना नहीं की जा सकती थी, जब उसे उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा संशोध्धित किया गया था जो अंतिम रूप ले चुका था।

इसके अतिरिक्त जैसा कि इस न्यायालय ने महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय और अन्य बनाम नासिक जिला सेठ कामगार यूनियन व अन्य [2001] 7 एस. सी. सी. 346 में यह अभिनिर्धारित किया है कि, जबकि कोई पद रिक्त नहीं है तो स्थायित्व की स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पुन: अहमदनगर जिला शेतमजूर यूनियन बनाम दिनकर राव कल्याणराव जगदाले, [2001] 7 एससीसी 356 में, यह माना गया कि काम उपलब्ध होने की अवधि के दौरान हर साल मौसम के आधार पर काम तजारी रखना स्थाई स्थ्रिाति का गठन नहीं करता है जब तक कि पद मौजूद न हो और नियमितिकरण किया गया है।

उपरोक्त स्थिति होने के कारण उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रदद किया जाता है। हालांकि यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 8 को छोडकर जिनकी इस बीच म्ऱत्यु हो गई है अन्य को समय समय पर नियमित किया गया है। नियमितिकरण उस सबंध में प्राधिकरण द्‌वारा पारित आदेश की संबंधित तारीखो से प्रभावी होगा, न कि 7/11/1983 से, जैसा कि उच्च न्यायालय द्‌वारा निर्देशित है।

उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है बिना किसी खर्चे के आदेश के ।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा मे किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नही ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देशयो के लियेउक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन मे भी उसी को उपयोग मे लिया जायेगा।